कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान
जोन जोधपुर –I

कार्यालय आदेश

आवेदन क्रमांकः CM/PWD/2022-23/17196 दिनांकः 01-11-2022

राज्य सरकार के पंजीयन आदेश संख्या एफ.2(3)वित्त/व्यय–3/97 दिनांक 24.05.1999, संशोधित आदेश संख्या एफ.2(3)वित्त/व्यय–3/99 दिनांक 23.03.2001 एवं आदेश संख्या एफ.2(4)/पी.डब्यु.एफ.एंड.ए.आर./99 पार्ट 2 दिनांक 10.10.2017 की अनुपालना में फर्म का पंजीयन निम्नानुसार किया जाता है।

1.1	फर्म का नाम	SIDHIVINAYAK INFRAVENTURES PVT LTD
1.2	संवेदक का नाम	SUMER SINGH NARUKA
2.1	फर्म का पूर्ण पता	Jeet Apartment, 1, Airport Road, Ratanada, Jodhpur, Rajasthan
2.2	ई–मेल एवं फोन नम्बर	SIPLJOD@GMAIL.COM & 9983147939
3.	पंजीयन कोड	B-27/ACE- I/PWD/Ju/2021-22
4.	श्रेणी	B CIVILWORKS
5.	पंजीयन की स्थिति (स्थायी / अस्थायी)	PERMANENT
6.	पुनर्विलोकन की दिनांक	31-10-2024
7.1	फर्म का प्रकार	PRIVATE LIMITED COMPANY
7.2	प्रोप्राइटर / पार्टनर / डाइरेक्टर के नाम	1. Pankaj Kumar Pandey, 2. Natwar Singh, 3. Pradeep Singh Rana
7.3	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर का नाम	SUMER SINGH NARUKA
8.	निविदाओ के लिए योग्यता की सीमा	Upto Rs. 1.50 Crores
9.	तकनीकी कर्मचारी का नाम एवं योग्यता	MUNISH KUMAR,DEGREE,,
10.	पंजीयन धरोहर राशि का विवरण	F.D.R.NO- 00447, Date 22-10-2021, Amount-2.00 Lacs, Bank Name-HDFC Bank Ltd
11.	पूर्व में पंजीयन का सन्दर्भ	SIDHIVINAYAK INFRAVENTURES PVT LTD, PUBLIC WORKS DEPARTMENT, B/27/ACE-I, B-CATEGORY,TEMPORARY, ZONE JODHPUR -I OFFICE

नोट :– पंजीयन की शर्ते एवं नियम पृष्ठ 2 पर अंकित हैं, जिनकी पालना अनिवार्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Arya
Designation : ACEN
Date: 2022.11.01 10:11:40 IST
Reason: Approved

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान
जोन जोधपुर –।

नियम एवं शर्ते

1. ठेकेदार/फर्म को लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम भाग–।। के नियम 334 के परिशिष्ट 16 में वर्णित नियम/निर्देशों की पालना करना अनिवार्य है। किसी भी नियम/आदेश अथवा निर्देश जिनका कि आपके कार्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध है, का आपने पालन नहीं किया तो नियमानुसार कार्यवाही कर आपका पंजीयन रद्द करने का अधिकार विभाग रखता है।

2. लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम भाग– ।। के नियम 334 के परिशिष्ट 16 के सैक्शन–7 के पैरा 2 के अनुसार ठेकेदारों के रजिस्ट्रीकरण का रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्श के पचात् ठेकेदार स्वयं के द्वारा एवं विभागीय क्षेत्र अधिकारियों के द्वारा प्रदायित किये जाने वाले कार्य के आंकडों के आधार पर पुनर्विलोकन किया जायेगा। कोई ठेकेदार, जिसका कार्य–सम्पादन असन्तोशजनक पाया जाये, अपना रजिस्ट्रीकरण रद्द कराने और अपना नाम रजिस्ट्रीकृत ठेकेदारों की सूची से नाम कटवाने के दायित्वाधीन होगा।

3. लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम भाग –।। के नियम 334 के परिशिष्ट 16 के सैक्शन–1 के पैरा 17 के अनुसार ठेकेदार/फर्म से यह प्रमाणित करने की अपेक्षा की जायेगी कि वे एक से अधिक नामों से स्वयं को रजिस्ट्रीकृत नहीं करायेंगे।

4. लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम भाग–।। के नियम 334 के परिशिष्ट 16 के सैक्शन–1 के पैरा 22 के अनुसार ठेकेदार/फर्म सूचीबद्धकरण प्राधिकारी को पूर्व सूचना दिये बिना कोई नई भागीदारी नहीं करेगा। ऐसे प्रस्ताव, यदि कोई हो, अग्रिम रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे जिनमें आयित भागीदारी/एकल प्रोप्राइटरी, ऐसे भागीदारों के निवृत्ति विलेख सहित भागीदारी विलेख/पथ पत्र के प्रारूप में पूरे ब्योरे दिये जायेंगें। इससे किसी भी प्रकार से हटाना ठेकेदार/फर्म को सूचीबद्धकरण प्राधिकारी के ठेकेदारों के रजिस्टर से हटाये जाने का भागी बनायेगा।

5. लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम भाग–।। के नियम 334 के परिशिष्ट 16 के सैक्शन–1 के पैरा 23 के अनुसार ठेकेदार/फर्म सूचीबद्ध किये जाने के समय के तथ्यों के किसी भी परिवर्तन के बारे में एक माह के भीतर सम्बन्धित सूचीबद्धकरण प्राधिकारी को सूचित करेंगे। समय पर सूचना नहीं भेजने की दा में यदि किसी भी परिवर्तन का तथ्य किसी भी अन्य स्रोत से सक्षम प्राधिकारी की जानकारी में आता है तो सूचीबद्धकरण निलम्बित/रद्द किये जाने का दायित्वाधीन होगा।

6. लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम भाग–।। के नियम 334 के परिशिष्ट 16 के सैक्शन–1 के पैरा 3 एवं पैरा 29 के अनुसार ठेकेदार/फर्म को परिचय पत्र एवं कार्य सम्बन्धी पासबुक, एवं कोड नं. विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, निर्धारित पासबुक में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा प्रस्तुत करने पर प्रत्येक कॉन्ट्रेक्ट देने वाले अधिकारियों से नियमित रूप से इन्द्राज/प्रविश्टि करानी आवयक होगी।

7. लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम भाग–।। के नियम 334 के परिशिष्ट 16 के सैक्शन–1 के पैरा 16 के अनुसार ठेकेदार/फर्म को प्रत्येक वर्श के सितम्बर माह के अन्त में सेवा एवं वस्तु कर अधिकारी का कर निर्धारण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. यह पंजीयन राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी पंजीयन नियमों व संोधनों के अध्यधीन होगा।

9. यह आदेश संबंधित पंजीयन प्राधीकारी के अनुमोदन पश्चात् जारी किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Arya
Designation : ACEN
Date: 2022.11.01 10:11:40 IST
Reason: Approved